तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.4.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18.6. को पेश हो।	
18.6.21	उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हों। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29.6.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।	
5.10.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प ग्राम पं० भाखलास मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले एवं नायब तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा०प० किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के सल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डा. [illegible] उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवों के संग 2021

यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

ठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

ा संख्या :- 184/20 प्रा पत्र

श्री गोपी S/o श्री उदा जाट निवासी-करणवास तहसील माण्डल --प्रार्थी

बनाम

श्री जोधराज S/o रामलाल जाट निवासी-करणवास तहसील-माण्डल (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 05-10-21

ार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर किया कि ग्राम........करणवास......पटवार हल्का........आवलास........तहसील मांडल/में उसके संयुक्त खातों की आराजी नं.........241/1...............कुल किता ....01............ ....03बीघा.......हेक्टेयर ....02बिस्वा स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी वा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.........2-11-20..........को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का री है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा था न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

ार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..........करणवास........ हल्का..........आवलास.......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.......241........................ ....कुल किता ....01..............रकबा........03 बीघा...........हेक्टेयर.......02 बिस्वा........ चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । ढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..........करणवास..............को ....400/-............ कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । र फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथा... ...को बनाये रखते हुए मुस्तकील ो आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:43 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

पि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021